Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या की घटना कारित करने के आरोपी मनवीर व परविन्दर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई आजीवन कारावास व 11,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-मनवीर पुत्र नैनसिंह, 2-परविन्दर, व 3-टीटू उर्फ दलबीर पुत्रगण जगदीश निवासीगण ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2020 में वादी के ताऊ की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 116/2020 धारा 147/148/149/323/302/307 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 07.08.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी- द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मनवीर व परविन्दर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड व अभियुक्त टीटू उर्फ दलबीर को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

नि0 श्री राकेश कुमार
प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

सीओ श्री मुनेन्द्रपाल सिंह
विवेचक (तत्कालीन नि0)

श्री गगन गौड़ एडीजीसी

का0 प्रशान्त कुमार
कोर्ट पैराकार

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट

थाना खेकडा   दिनाँक 07.08.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग को दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 275/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वाहिद पुत्र युसुफ निवासी मसूरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

- **01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकडा।

2-है0का0 489 सुनील कुमार थाना खेकडा।

3-है0का0 218 धर्मेन्द्र कुमारथाना खेकडा।

4-है0का0 396 नितेश कुमार थाना खेकडा।